

भाग- V

प्रतिपत्र- 49674/2020

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग ख या भाग-ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर वििष्ट टिप्पणी की जाए)	ए.एन. गुप्ता की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
----	--	--

दिनांक:- 27/8/21

स्थान:-लखनऊ

Anupam Gupta
हस्ताक्षर
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow
नाम और पदनाम

सरकारी मोहर